

उत्तर प्रदेश सरकारआर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण-प्रत्र

कार्यालय का नाम.....

फोटो

प्रमाण पत्र संख्या .....

दिनांक .....

वित्तीय वर्ष ..... के लिए मान्य

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती ..... पुत्र/ पति/ पुत्री ..... ग्राम/ कस्बा ..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... पिन कोड ..... के स्थायी निवासी हैं, जिनका उपरोक्त फोटोग्राफ अभिप्राप्ति है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य है, क्योंकि वित्तीय वर्ष ..... में इनके परिवार की कुल वार्षिक आय 8 लाख (आठ लाख रुपये मात्र) से कम है। इनके परिवार के स्वाभित्र में निम्नलिखित में से कोई भी परिसम्पत्ति नहीं है:-

- i. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
  - ii. एक हजार वर्ग फीट अथवा इससे अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
  - iii. अधिसूचित नगरपालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
  - iv. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
2. श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... जाति ..... के सदस्य हैं जो अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के रूप में अधिसूचित नहीं हैं।

हस्ताक्षर ..... (कार्यालय का मुहर सहित)  
पूरानाम .....  
पदनाम .....  
जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/  
सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार।

एनेकजर-॥आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थ स्वयं घोषणा प्रमाण-प्रत्रस्वयं घोषणा पत्र

मैं ..... पुत्र/ पति/ पुत्री ..... ग्राम/ कस्बा ..... पोस्ट ऑफिस ..... थाना ..... तहसील ..... जिला ..... राज्य ..... ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के प्रमाण पत्र हेतु आवेदन दिया है, एतद द्वारा घोषणा करता/ करती हूँ।

1. मैं से सम्बन्ध रखता/ रखती हूँ जो उत्तर प्रदेश हेतु अधिसूचित अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में सूचीबद्ध नहीं है।
2. मेरे परिवार की कुल श्रोतों (वैतन, कृषि, व्यवसाय, पेशा इत्यादि) से कुल वार्षिक आय रु ..... (शब्दों में) है।
3. मेरे परिवार के पास उल्लिखित आय के सिवाय अथवा इसके अतिरिक्त अन्यत्र कोई परिसम्पत्ति नहीं है।

अथवा

कई स्थानों पर स्थित परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् भी मैं (नाम) ..... आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के दायरे में आता/ आती हूँ।

4. मैं घोषणा करता/ करती हूँ कि मेरे परिवार की सभी परिसम्पत्तियों को जोड़ने के पश्चात् निम्नलिखित में से किसी भी सीमा से अधिक नहीं है :-

- I. 5 (पाँच) एकड़ कृषि योग्य भूमि अथवा इससे ऊपर।
- II. एक हजार वर्ग फीट अथवा अधिक क्षेत्रफल का फ्लैट।
- III. अधिसूचित नगर पालिका के अंतर्गत 100 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।
- IV. अधिसूचित नगरपालिका से इतर 200 वर्ग गज अथवा इससे अधिक का आवासीय भूखण्ड।

मैं प्रमाणित करता/ करती हूँ कि मेरे द्वारा उपरोक्त जानकारी मेरे ज्ञान और विश्वास के अनुसार सत्य है और मैं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए आरक्षण सुविधा प्राप्त करने हेतु पात्रता धारण करता/ करती हूँ। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी असत्य/ गलत पायी जाती है तो मैं पूर्ण रूप से जानता हूँ/ जानती हूँ कि इस आवेदन पत्र के आधार पर दिये गये प्रमाण पत्र के द्वारा शैक्षणिक स्थान में लिया गया प्रवेश/ लोक सेवाओं एवं पदों में प्राप्त की गई नियुक्ति निरस्त कर दी जायेगी/ कर दिया जायेगा अथवा इस प्रमाण पत्र के आधार पर कोई अन्य सुविधा/ लाभ प्राप्त किया गया है उससे भी वंचित किया जा सकेगा और इस सम्बन्ध में विधि एवं नियमों के अधीन मेरे विरुद्ध की जाने वाली कार्यवाही के लिए मैं उत्तरदायी रहूँगा/ रहूँगी।

नोट:- जो लागू नहीं हो उसे काट दें।

स्थान .....

दिनांक :

आवेदक/ आवेदिका का हस्ताक्षर तथा पूरा नाम।

एनेकजर-|||उठ प्र०, की अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति के लिए प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... सुपुत्र/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ..... ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जाति के व्यवित है जिसे संविधान (अनुसूचित जाति) आदे"।, 1950 (जैसा कि समय-समय) पर संगोष्ठित हुआ) / संविधान (अनुसूचित जनजाति, उत्तर प्रदे"। आदे"।, 1967 के अनुसार अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के रूप में मान्यता दी गई है।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदे"। के ..... ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यता रहता है।

स्थान .....  
दिनांक .....  
मुहर .....  
जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... तथा अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदे"। के ..... ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यता रहता है।

स्थान .....  
दिनांक .....  
मुहर .....  
जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

## एनेकजर—V

### उत्तर प्रदेश के अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जाति प्रमाण—पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... सुपुत्र/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदे"। राज्य की ..... पिछड़ी जाति के व्यक्ति है। यह जाति उत्तर प्रदे"। लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) अधिनियम, 1994 (यथोस"गोधित) की अनुसूची एक के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त है। यह भी प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... पूर्वावत अधिनियम, 1994 (यथोस"गोधित) की अनुसूची—दो (जैसा कि उत्तर प्रदे"। लोक सेवा) (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (स"गोधन) अधिनियम, 2001 द्वारा प्रति स्थापित किया गया है एवं जो उत्तर प्रदे"। लोकसेवा (अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए आरक्षण) (स"गोधन) अधिनियम, 2002 द्वारा स"गोधित की गयी है, से आच्छादित नहीं है। इनके माता—पिता की निरंतर तीन वर्ष की अवधि के लिए सकल वार्षिक आय 8 लाख रुपये या इससे अधिक नहीं हैं तथा इनके पास धनकर अधिनियम, 1957 में यथाविहित छटे सीमा से अधिक सम्पत्ति भी नहीं हैं।

श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... तथा/ अथवा उनका परिवार उत्तर प्रदे"। के ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... में सामान्यता रहता है।

स्थान .....  
हस्ताक्षर .....  
दिनांक .....  
मुहर .....

पूरा नाम .....  
पद कानाम .....

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार

## एनेकजर—VI

### स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों के लिए प्रमाण—पत्र

कार्यालय जिलाधिकारी .....

फोटो

संख्या .....

दिनांक .....

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती ..... निवासी ग्राम ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... उत्तर प्रदे"। लोक सेवा ("आरीरिक रूप से विकलांग, स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के आश्रितों और भूतपूर्व रैनिको के लिए आरक्षण) अधिनियम 1993 के अनुसार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है और श्री/ श्रीमती / कुमारी (आश्रित) ..... पुत्र/ पुत्री/ पौत्र (पुत्र का पुत्र या पुत्री का पुत्र) तथा पौत्री (पुत्र की पुत्री या पुत्री की पुत्री) (विवाहित अथवा अविवाहित) उपरांकित अधिनियम 1993 (यथोस"गोधित) के प्रावधानों के अनुसार उक्त श्री/ श्रीमती (स्वतंत्रता संग्राम सेनानी) ..... के आश्रित है।

स्थान .....  
दिनांक :

हस्ताक्षर .....  
पूरा नाम .....  
पदनाम .....  
मुहर .....

## एनेकजर—VI

### उत्तर प्रदेश के अम्यर्थियों हेतु निवास प्रमाण—पत्र

फोटो

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/ श्रीमती/ कुमारी ..... सुपुत्र/ सुपुत्री श्री ..... निवासी ..... ग्राम ..... का/ की निवासी हैं। थाना ..... तहसील ..... नगर ..... जिला ..... राज्य .....

2— उपर्युक्त की पुष्टि आवेदन एवं सत्यापनकर्ता द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना तथा इससे संतुष्ट हो जाने के उपरान्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा उत्तर प्रदे"। के इस जनपद का सामान्य निवासी होने विषयक प्रमाण पत्र निर्गत किया जा रहा है।

स्थान .....  
दिनांक .....  
मुहर .....

हस्ताक्षर .....  
पूरा नाम .....  
पद कानाम .....

जिलाधिकारी/ अतिरिक्त जिलाधिकारी/ सिटी

मजिस्ट्रेट/ परगना मजिस्ट्रेट/ तहसीलदार